

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप'6) विभाग के नोटिफिकेशन
क्रमांक/1(17) REB/6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के
तहत जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश की प्रथम अपील अन्तर्गत
धारा 75 एवं 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की सुनवाई की
जाने की शक्तियां प्रयुक्त किये जाने का अधिकार/क्षेत्राधिकार
संभागीय आयुक्त को किये जाने से पत्रावली संभागीय आयुक्त
जोधपुर को स्थानांतरित की जाती है। पत्रावली नंबर से कम की
जाकर संभागीय आयुक्त जोधपुर को भिजवाई जावे। उभयपक्ष एवं
उनके अधिवक्तागण दिनांक 20/03/2020 को न्यायालय
संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष उपस्थित हो।



राजस्व अपील प्राधिकारी
जाली